राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./2018/ 88 दिनांकः 2|5|18

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः—राजकीय/निजी चिकित्सालयों पर गुड सेमेरिटन गाईडलाईन के क्रम में।
संदर्भः—मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता मे आयोजित यातायात प्रबंध समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) संख्या 295/2013 पारित निर्णय के क्रम मे सभी राजकीय /निजी चिकित्सालयों द्वारा गुड सेमेरिटन गाइड लाइन की अनुपालना की जावे। इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले के समस्त निजी चिकित्सालयों के सगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं गुड सेमेरिटन गाइड लाइन के उदेश्यों से अवगत करायें एवं निदेशालय से प्राप्त गाइड लाइन की आईईसी सामग्री उपलब्ध करवाते हुये समस्त चिकित्सालयों पर उनका प्रर्दशन व पालना कराना सुनिश्चित करावे। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना रिपोर्ट निदेशालय की ईमेल आईडी addtiha@gmail.com पर 10 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावे। विलम्ब के लिये आप स्वंय उतरदायी होगें।

2/5/18
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./2018/ 88 दिनांकः 2|5|18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

2/5/18
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर